Telephone: 0120- 4911900
E-mail: pd_gnrco@awhosena.in

Office of the Project Director (Part 'F')
Army Welfare Housing Organization
Sector Chi – I, Pocket P – 5
Greater NOIDA (UP) – 201310

12

B/03002/REGN/PH-III/706/AWHO

23 May 2017

Army Welfare Housing Organization (Land)
South Hutments, Kashmir House
Rajaji Marg, New Delhi-110011

EXEMPTION OF STAMP DUTY OF PROPERTY VALUED UPTO RUPEES 20 LAKHS

1. A UP Govt Gazette Notification No: 25/2016/888/94/stamp nibhandhak-2-2016-500 (64)/80 dated 11 Nov 2016 issued vide Commissioner Revenue Stamp Allahabad vide letter No: 6802/Stamp Duty-146/2016 dated 11 Nov 2016 is enclosed herewith wrt exemption of Stamp Duty on property valued upto Rs 20 lakhs for Ex-Servicemen/Widows/Dependents etc. In case the value of property is more than the Rs 20 Lakhs e.g Rs 50 lakhs then the stamp duty will be exempted for first Rs 20 lakhs and on remaining balance of Rs 30 lakhs stamp duties will be charged.

2. First Sub Lease Deed has been executed in respect of Flat No: 3-H-602 of AWHO, Gurjinder Vihar, Greater Noida considering stamp duty exemption on first Rs 20 lakhs amounting to saving of Rs 1 lakh as per the above mention notification due to the persistent efforts by the staff of this office with concerned authorities (Copy of Tripartite Sub Lease Deed enclosed).

3. It is requested to provide wide publicity through AWHO Website/New letters and the same should also be informed to all RWA's located in Uttar Pradesh so that the benefit is accrued to all their members.

Army Welfare Housing Organisation Greater Noida Project

(Mukesh Chopra)
Col
Project Director

Encls: - As above

Copy to:-

PA to Dy MD (Adm)
Army Welfare Housing Organization
South Hutments, Kashmir House
Rajaji Marg, New Delhi-110011
- for info to Dy MD (Adm) please.

President
Resident Welfare Association
AWHO Township, Gurjinder Vihar,
Greater Noida, UP-201310
- It is requested to provide wide publicity through your website so that maximum allottees can avail the exemption of the stamp duty in future.

अतिमहत्वपूर्ण ई-मेल

प्रेषक,

इलाहाबाद।

समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/उपायुक्त स्टाम्प,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 6802 स्टाम्प विविध-146 /2016 दिनांक - 11.11.2016

विषय **स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०-25/2016/888/94-स्टा०नि०-2-2016-500(64)/80, दिनांक 11-11-2016 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०-25/2016/888/94-स्टा०नि०-2-2016-500(64)/80, दिनांक 11-11-2016 जिसके द्वारा अधिसूचना सं०-445/क०नि०/11-7-2013-500(64)/80, दिनांक 17-05-2013 का अधिक्रमण करते हुए, अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से, कतिपय प्रतिबन्धों सहित, भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में एवं शहीद सैनिकों के विधिक आश्रितों एवं अर्ध-सैनिक बलों तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीदों के विधिक आश्रितों के पक्ष में निष्पादित हस्तान्तरण विलेखों पर अनुसूची-1 ख के अनुच्छेद-23के खण्ड(क) के अधीन तथा पट्टा के लिखतों पर अनुसूची-1ख के अनुच्छेद-35 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की गयी है, की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, द्वारा निर्गत उक्त अधिसूचना दिनांक 11-11-2016 का प्रचार-प्रसार अपने जनपद के समस्त अधीनस्थों को कराते हुए इसका तत्काल अनुपालन कराना सुनिश्चत करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(अशोक कुमार दूबे)
उपायुक्त स्टाम्प

उत्तर प्रदेश शासन

[illegible] एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

<u>आदेश</u>

1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या-445/ क०नि०/ 11-7-2013-500(64)-80, दिनांक 17-05-2013 का अधिक्रमण करते हुए इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में एवं शहीद सैनिकों के विधिक आश्रितों एवं अर्द्ध सैनिक बलों तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीदों के विधिक आश्रितों के पक्ष में निष्पादित हस्तांतरण लिखतों पर अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन तथा पट्टा के लिखतों पर अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 35 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते है। यह छूट सम्पत्ति के प्रथम रू० 20 लाख तक के मूल्यांकन पर उपलब्ध होगी। सम्पति का मूल्यांकन रू० 20 लाख से अधिक होने की दशा में प्रथम रू० 20 लाख से अधिक के मूल्यांकन की राशि पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा।

प्रतिबंध यह है कि:-

(1) भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों एवं केन्द्रीय सशस्त्र बलों के शहीदों में से प्रत्येक के विधिक आश्रितों में से किसी एक आश्रित, जिसके लिए उसके अन्य आश्रितों की सहमति हो, को ही यह छूट अनुमन्य होगी।

(2) यह छूट, पात्रता की दशा में उपर्युक्त को एक ही बार अनुमन्य होगी।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनु सचिव।

संख्या-25/ 2016/ 888/ 94/ स्टा०-नि०-2-2016-500(64)/ 80, दिनांक 11 नवम्बर,2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त स्टाम्प/ महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/ शिविर कार्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त संबंधितों को उक्त अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराते हुए तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ।
7. शासकीय हस्तान्तरक, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. विधायी अनुभाग- 1, उत्तर प्रदेश शासन।
9. गार्ड फाइल।

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।